मोहनलाल नानाभाई चोकसी (मृत) के एल.आर.एस द्वारा

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

(सिविल अपील सं. 7268/2004)

04 अक्टूबर,2010

{जी. एस. सिंघवी और अशोक कुमार गांगुली न्यायाधीशगण}

गुजरात कृषि उपज बाजार अधिनियम,1963 : राज्य सरकार द्वारा बंबई नगर निगम अधिनियम,1949 के तहत सब्जी बाजार स्थापित करने के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई-निर्धारित-1949 के अधिनियम की गैर-परियोज्यता का प्रश्न उठाने का जमीन का मालिक हकदार-1963 के बाद के विशिष्ट विधायी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए- जो प्रश्न तैयार किए थे उनके आलोक में नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को मामला भेजा गया-भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1894-बम्बई प्रांतीय नगर निगम अधिनियम,1949-धारा 78.

अनुच्छेद 300 ए-भारत का संविधान,1950 : संपत्ति का अधिकार-अधिग्रहण द्वारा संपत्ति से वंचित करना-निर्धारित -संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नही रहा परन्तु कानून के वैध प्राधिकरण के अलावा संपत्ति से कोई वंचित नही हो सकता, इस हद तक अनुच्छेद 300 ए का संरक्षण का लाभ मिलता है- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894-बंबई प्रांतीय नगर पालिका निगम अधिनियम,1949-धारा 78-गुजरात कृषि उपज बाजार अधिनियम,1963।

इस अपील में इस प्रश्न पर विचार किया जाना था कि क्या राज्य सरकार, धारा

78 बंबई प्रांतीय नगर निगम अधिनियम 1949 के तहत सूरत नगर निगम (एस.एल.सी.), एक विशिष्ट बाद के विधायी अधिनियम अर्थात गुजरात कृषि उपज बाजार अधिनियम 1963 को देखते हुए, के संकल्प के आधार पर सब्जी बाजार स्थापित करने के लिए अधिग्रहण कार्यवाही शुरू कर सकती है?

न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए, अभिनिर्धारित किया-

1. अध्याय प्ग् और धारा 49 कृषि उपज बाजार अधिनियम 1963 के तहत यदि अधिनियम के प्रयोजनो के लिए अर्थात 1963 के अधिनियम, के तहत इसकी आवश्यकता है तो राज्य सरकार किसी भी बाजार क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत है। ऐसा अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 या उस समय लागू किसी अन्य संबंधित कानून के तहत किया जा सकता है। सूरत नगर निगम (एस.एल.सी.) ने धारा 78 बंबई प्रांतीय नगर पालिका निगम अधिनियम 1949 (बी.एम.सी.अधिनियम) पर आधारित करते हुए सब्जी बाजार की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण को शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। चूंकि अपीलार्थियों की संपत्ति सब्जी मंडी की स्थापना के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही के परिणाम स्वरूप ले ली गई थी इसलिए अपीलार्थी को बी.सी.एम.सी अधिनियम 1963 जो कि एक विशेष और बाद का अधिनियम है के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उसकी गैर परियोज्यता का प्रश्न उठाने का अधिकार था। (पैरा 14,23,30)

2. संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नही है लेकिन इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए का संरक्षण इस हद तक प्राप्त है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई संपत्ति से वंचित नही किया जा सकता है। कानून के अधिकार का मतलब स्पष्ट रूप से वैध कानून का अधिकार होगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, जो कि कठोर

और कष्ट दायी कानून है, के तहत अधिग्रहण द्वारा संपत्ति से वंचित होने के मामले में अपीलार्थी अधिग्रहण की कार्यवाही की वैधता के संबंध में सभी कानूनी रूप से अनुमत आपत्तियों को उठाने के हकदार थे। उच्च न्यायालय एक गलत दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ा क्योंकि उसने अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई मुख्य चुनौती की वैधता की जांच अधिकार की कमी के आधार पर करने से इंकार कर दिया। उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण इस मुद्दे की जड़ तक जाता है और अपने निर्णय को कमजोर बनाता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय रद्द कर दिया जाता है और मामले को सभी मुद्दो पर नए सिरे से निर्णय के लिए भेजा जाता है, लेकिन विशेष रूप से निम्न लिखित दो प्रश्नों को निपटा सकता हैः-

(i) क्या 1963 अधिनियम,1949 अधिनियम की तुलना में एक बाद का और एक विशेष अधिनियम, 1949 अधिनियम पर प्रभावी होगा या क्या 1963 अधिनियम और 1949 अधिनियम के बीच इस आधार पर सामंजस्यपूर्ण व्याख्या संभव है कि वे दो अलग अलग स्थितियों को नियंत्रित करते है तथा बाजारों के अलग अलग क्षेत्र को शासित करते प्रतीत होते है।

(ii) विवादित अधिग्रहण बीपीएमसी अधिनियम की धारा 78 के तहत आगे बढ़ता है। धारा 78 विशिष्ट रूप से ''निगम में निहित संपत्ति शब्द का उपयोग करती है। इस शब्द को पढने से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि एसएमसी केवल उसमें निहित संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, निजी संपत्ति का नहीं। इस प्रकार, उच्च न्यायालय बीपीएमसी अधिनियम की धारा 78 में उक्त अभिव्यक्ति का दायरा और सीमा तय कर सकता है और विवादित अधिग्रहण की वैधता का मुद्दा निर्धारित कर सकता है।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील से. 7268/2004

अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन पीठ के विशेष सिविल

आवेदन सेः 3435/1991 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 01.02.2002 से

आर.एफ.नरीमन, शिरीष एच. संजनवाला, एस.पी.सिंह और शामिक संजनवाला, (लॉयर्स निट एंड कंपनी के लिए) अपीलार्थी।

प्रशांत देसाई, हेमंतिका वाही, मुरगेन्दर पुरोहित, राहुल सतीजा और सुमिता हजारिका उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश गांगुली,जे.गांगुली द्वारा पारित किया गया।

1. अपीलकर्ता गुजरात के सूरत शहर के तालुका चोर्यासी के वार्ड नंबर 4 की सर्वे नंबर 1587 से 1596, 1597-ए-भाग, 1599 से 1601 तक की भूमि के मालिक हैं।

2. 22.08.1980 को सूरत नगर निगम (इसके बाद एसएमसी) की स्थयी समिति ने बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम,1949 (इसके बाद बीपीएमसी अधिनियम) की धारा 78 के तहत राज्य सरकार को एक प्रस्ताव अपीलकर्ताओं की उपर्युक्त भूमि प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1894 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के लिए पारित किया। 7168.09 वर्ग मीटर की उक्त भूमि को सब्जी बाजार की स्थापना के लिए अधिग्रहित किया जाना था। उक्त संकल्प को मंजूरी दे दी गई और प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.071981 को मंजूरी दे दी गई।

3. 03.03.1986 को, गुजरात टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट,1976 (इसके बाद डेवलपमेंट एक्ट) के तहत पहली विकास योजना सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (इसके बाद एसयूडीए) के लिए तैयार की जा रही थी। उक्त योजना के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार ने उपर्युक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, और इसलिए विचारधीन भूमि को एसएमसी के लिए सब्जी बाजार के लिए आरक्षित रखा गया था।

4. 09.02.1990 को अपीलकर्ताओं की भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। अपीलकर्ताओं ने 14.03.1990 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5 ए के तहत अपनी आपत्तियां दर्ज की। हालांकि आपत्तियों को खारिज कर दिया गया और फिर 08.02.1991 को उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई।

5. अपीलकर्ताओं ने 16.03.1991 को गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष दीवानी आवेदन (संख्या 3435/1991) दायर किया।

6. 1996-97 में, ैन्क्। ने विकास योजना को संशोधित करना शुरू किया और इसके संशोधन में भूमि को ैडब् के सब्जी बाजार के लिए आरक्षित दिखाया गया।

7. 17.05.2001 को राज्य सरकार द्वारा विकास अधिनियम की धारा 17 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत एसएमसी द्वारा सब्जी बाजार की स्थापना के लिए आरक्षित की गई भूमि को अनारक्षित करने और उन्हें आवासीय क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव किया गया था। 13.07.2001 एस.एम.सी को आरक्षण रदद् करने के उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति जताई।

8. गुजरात उच्च न्यायालय ने आक्षेपति निर्णय द्वारा 01.02.2002 को विशेष दीवानी आवेदन (नंबर 3435/1991) को खारिज कर दिया और सब्जी बाजार स्थापित करने के लिए अपीलकर्ताओं की भूमि के अधिग्रहण की अनुमति दी।

9. आक्षेपित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार निर्णय दियाः

विचारधीन भूमि का एक बड़ा हिस्सा खुली भूमि थी, इस पर निर्माण बहुत पुराना था और भूमि का मुश्किल से 1/10 वां हिस्सा निर्मित था।

बीपीएमसी अधिनियम की धारा 78 और विकास अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित 12 (2) (बी) के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता थी।

अन्य बाजार, जिनके बारे में अपीलकर्ता दावा करते हैं कि वे बहुत करीब है, वास्तव में काफी दूर थे। एसएमसी को लोगो को नजदीक ही बाजार उपलब्ध कराने की जरूरत है ताकि उन्हें अपनी दैनिक जरूरत की चीजें खरीदने के लिए दूर न जाना पड़े। सब्जी बाजार का लोगो के निकट होना आवश्यक है, विशेषकर भारत में, क्योंकि भारत में लोग प्रतिदिन ताजी सब्जियाँ खरीदते हैं।

अधिसूचना दिनांक 17.05.2001 ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह एक मसौदा विकास योजना थी, और उक्त योजना में संशोधन के लिए व्यक्तियों से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थी। इसलिए, दिनांक 17.05.2001 की अधिसूचना केवल विकास योजना के मसौदे को संशोधित करने का एक प्रस्ताव थी और इसमें अपीलकर्ताओं की भूमि को अनारक्षित करने के निर्णय को प्रतिबिंबित नहीं किया गया था।

बीपीएमसी अधिनियम की धारा 66 (42) के साथ धारा 63 (12) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो गया कि सार्वजनिक बाजार का निर्माण और रखरखाव करना एसएमसी का अनिवार्य कर्तव्य है, जिसके लिए वह अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा अधिनियम की योजना ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि एसएमसी बाजार स्थापित करने में सक्षम थी।

एफ. अपीलकर्ताओं ने यह तर्क दिया था कि एसएमसी को भूमि अधिग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था और अधिक से अधिक राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती थी। उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के

प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद धारा 6 के तहत एक अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद यह निर्णायक सबूत था कि भूमि एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक थी और न्यायालय उक्त अधिसूचना के पीछे नहीं जा सकता था, उक्त आपत्ति को खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता न तो कृषिविद थे, न ही कृषि उपज के उत्पादक, न ही सूरत कृषि उपज बाजार समिति के डीलर या पदाधिकारी, और इस तरह उन्हें सब्जी बाजार के लिए अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के एसएमसी के अधिकार पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं था।

1963 का अधिनियम केवल थोक बिक्री पर लागू होता था, खुदरा बिक्री पर नहीं। एसएमसी एक बाजार उपलब्ध करा रहीं थी ताकि खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को वस्तुओं की बिक्री/खरीद में कोई कठिनाई न हो। खुदरा विक्रेताओ को 1963 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे से बाहर रखा गया था। इस प्रकार, एसएमसी सब्जी बाजार स्थापित कर सकती हैं क्योंकि वह खुदरा विक्रेताओं के लिए भी ऐसा ही कर रही है।1963 का अधिनियम व्यापारियों और कृषिविदों के बीच लेनदेन को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था, ताकि व्यापारियों द्वारा कृषिविदों के शोषण को रोका जा सके। इस प्रकार, कृषिविदों और व्यापारियों के लिए एक बाजार केवल 1963 अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया जा सकता है, लेकिन यह छोटी मात्रा में व्यापार करने वाले खुदरा विक्रेताओ पर लागू नहीं होता है और न ही लागू होगा। 1963 के अधिनियम मे ऐसा कुछ भी नही था जो दर्शाता हो कि अंतिम उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के बीच लेनदेन को नियंत्रित किया गया था या स्थानीय प्राधिकरण को इसके लिए सब्जी बाजार स्थापित करने से प्रतिबंधित किया गया था।

10. अपीलकर्ताओं ने 19.03.1992 को इस न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी (नंबर 7559/2002) दायर की, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित मुख्य तर्क शामिल थेः

बीपीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करने वाली एसएमसी के पास सब्जी बाजार स्थापित करने का कोई अधिकार नहीं था क्यूंकि गुजरात सरकार द्वारा एक बाद का और विशेष अधिनियम पारित किया गया था, अर्थात् गुजरात कृषि उपज बाजार अधिनियम,1963 (इसके बाद 1963 अधिनियम) और 1963 अधिनियम के तहत एक सब्जी बाजार केवल 1963 अधिनियम के तहत गठित बाजार समिति द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है।

1 और 1/2 किलोमीटर के दायरे मे पहले से ही बाजार स्थापित थे, इसलिए सब्जी बाजार स्थापित करने की कोई आवश्यकता नही थी। यह भी तर्क दिया गया कि उक्त बाजार की स्थापना के लिए एसएमसी पर कोई अनिवार्य कर्तव्य नहीं था, और इस तरह के बाजार की स्थापना से केवल यातायात समस्याएं पैदा होगी क्योंकि यह क्षेत्र शहर के मध्य में एक भीड़भाड़ वाला क्षेत्र था। अपीलकर्ताओं ने यह भी कहा कि जिस क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना है उस पर कई किरायेदारों का कब्जा है और उस पर कई निर्माण है।

विचारधीन भूमि को एसयूडीए की अंतिम विकास योजना में आरक्षित किया गया था, लेकिन उक्त भूमि को (अधिसूचना दिनांक 17.05.2001 द्वारा), अनारक्षित करने का प्रस्ताव था, और इस प्रकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं जीवित नहीं रहेंगी।

11. 02.09.2004 को राज्य सरकार ने विकास अधिनियम की धारा 17 (1) (सी) के तहत संशोधित विकास योजना (जिसे संशोधित अंतिम विकास योजना कहा

जाता है) को मंजूरी देते हुए एक अधिसूचना जारी की। उक्त योजना में, राज्य सरकार ने एसएमसी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण अपीलकर्ताओं की भूमि के आरक्षण को रद्द करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार, एसएमसी के लिए सब्जी बाजार के लिए भूमि का आरक्षण जारी रखा गया।

12. 22.04.2002 को इस न्यायालय ने लंबित एसएलपी में भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी और रोक का अंतरिम आदेश 05.11.2004 को जारी रखा गया।

13. इस न्यायालय का विचार है कि यहां अपीलकर्ताओं द्वारा जो विवाद उठाए गए हैं, उनमें से एक बीपीएमसी अधिनियम की गैर-प्रयोज्यता से संबंधित है, अधिनियम के संदर्भ में एक सब्जी बाजार की स्थापना के लिए राज्य द्वारा अधिग्रहण शुरू करने के लिए एक बाद के और एक विशेष अधिनियम, अर्थात् 1963 अधिनियम, में कुछ सार है।

14. एसएमसी के प्रस्ताव से यह स्पष्ट है कि वह सब्जी बाजार की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के अपने प्रस्ताव को शुरू करने के लिए बीपीएमसी अधिनियम की धारा 78 पर निर्भर थी। बीपीएमसी अधिनियम की धारा 78 निम्नानुसार हैः 78. प्रक्रिया जब अचल संपत्ति समझौते द्वारा अर्जित नहीं की जा सकतीः-

1). जब भी आयुक्त धारा 77 के तहत किसी भी अचल संपत्ति या निगम में निहित किसी भी अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी सुखभोग को समझौते द्वारा प्राप्त करने में असमर्थ होता है या जब भी निगम में निहित किसी भी अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाली किसी भी अचल संपत्ति या किसी सुखभोग की आवश्यकता होती है।

इस अधिनियम के तहत, राज्य सरकार अपने विवेक से,स्थायी समिति के अनुमोदन से आयुक्त के आवेदन पर और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, उसकी ओर से इसे प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करने का आदेश दे सकती है। निगम, मानो ऐसी संपत्ति या सुखभोग भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अर्थ के तहत लोक हित के लिए आवश्यकत भूमि थी।

2). जब भी कोई नई सड़क प्रदान करने या किसी मौजूदा सड़क को चौड़ा करने या सुधारने के उद्देश्य से भूमि के अधिग्रहण के लिए उप-धारा (1) के तहत कोई आवेदन किया जाता है, तो आयुक्त के लिए ऐसे अधिग्रहण के लिए आवेदन करना वैध होगा। ऐसी नई सड़क या मौजूदा सड़क के कब्जे वाली भूमि के ठीक बगल में अतिरिक्त भूमि, जो सड़क के दोनो ओर बनाए जाने वाले भवनों के स्थलों के लिए आवश्यक है, और ऐसी अतिरिक्त भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक मानी जाएगी।

3). दिए गए मुआवजे की राशि और ऐसी किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण में लगाए गए अन्य सभी शुल्क, इस अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों के अधीन, आयुक्त द्वारा तुंरत भुगतान किए जाएंगे और उसके बाद उक्त संपत्ति निगम में निहित हो जाएगी।

15. धारा 78 की उप-धारा (1) के अवलोकन से पता चलता है कि यदि एसएमसी को इस उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता है तो राज्य सरकार, आयुक्त के आवेदन पर, अपने विवेक से, संबंधित भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही करने का आदेश दे सकती है। बीपीएमसी अधिनियम की धारा 63 कुछ श्रेणियों के मामलों का प्रावधान करती है जिनके संबंध में एसएमसी कदम उठाने में सक्षम है और ऐसा एक कदम धारा 63 (12) के तहत प्रदान किया गया है। धारा 63 की उप-धारा 12 के तहत, एसएमसी इसके लिए कदम उठा सकती है।

63. (12) सार्वजनिक बाजारों और बूचड़खानों और टनरियों का निर्माण या अधिग्रहण और रखरखाव और सभी बाजारों और बूचड़खानों और टनरियों का विनियमनः

16. बीपीएमसी अधिनियम की धारा 2 (33) एक बाजार को परिभाषित करती है। उक्त परिभाषा बहुत व्यापक है और नीचे दी गई हैः

2.(33) बाजार में कोई भी स्थान शामिल है जहां व्यक्ति पशुधन या पशुधन या मांस,मछली,फल,सब्जियों,जानवरों के लिए भोजन की बिक्री के लिए या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एकत्र होते है। मानव भोजन या मानव भोजन की कोई भी अन्य वस्तु ऐसे स्थान के मालिक की सहमति के साथ या उसके बिना, इसके बावजूद कि खरीदारों और विक्रेताओं के जमावड़े का कोई सामान्य नियंत्रण नहीं हो सकता है उस स्थान के मालिक या अन्य व्यक्ति द्वारा बाजार में बार-बार आने वाले व्यक्ति और या के व्यवसाय पर कोई नियंत्रण किया जाता है या नहीं।

17. बीपीएमसी अधिनियम के इन प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक नगर आयुक्त बीपीएमसी अधिनियम की धारा 2(33) के अर्थ के तहत एक बाजार स्थापित करने के लिए अधिकृत है। ऐसा बाजार सब्जी बाजार से कहीं अधिक व्यापक होता है।

18. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने अपने तर्क के लिए 1963 के अधिनियम का सहारा लिया। 1963 अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख करते हुए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उक्त 1963 अधिनियम गुजरात राज्य में कृषि उपज की खरीद और बिक्री और कृषि उपज के लिए बाजारों की स्थापना से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। 22 मार्च,1963 को गुजरात सरकर के गजट असाधारण में 1963 अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है।

उद्देश्यों और कारणों का विवरणः

1. जहां तक कृषि उपज की बिक्री और खरीद के विनियमन का संबंध है, राज्य के बंबई क्षेत्र में, बंबई कृषि उपज बाजार अधिनियमन, 1939, और राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में, सौराष्ट्र कृषि उपज बाजार अधिनियमन,1955 वहां लागु है। राज्य के कच्छ क्षेत्र में कोई संबंधित कानून लागू नहीं है।

2. उपरोक्त बॉम्बे अधिनियमन पिछले 23 वर्षों से कानून की किताब में है और उस अवधि के दौरान इसमें विनियमित कृषि उपज बाजारों के विकास और वृद्धि के अनुरूप समय-समय पर विभिन्न बदलाव हुए है।

3. सरकार ने दिन-प्रतिदिन के कामकाज मे प्राप्त अनुभव के आलोक में कृषि उपज बाजारों की संपूर्ण स्थिति की समीक्षा करने के लिए तत्कालीन सहकारिता उप मंत्री श्री जशवंतलाल शाह की अध्यक्षता में मौजूदा कानून में संशोधन, यदि कोई हो, का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। तदनुसार समिति ने विभिन्न संशोधनों का सुझाव दिया है। राज्य में लागू कानूनों में एकरूपता लाने की राज्य की नीति के अनुसरण में, पूरे गुजरात राज्य में कृषि उपज की खरीद और बिक्री के विनियमन से संबंधति कानून को समेकित और संशोधित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान विधेयक उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। विधेयक मुख्य रूप से बॉम्बे कृषि उपज बाजार अधिनियम,1939ः (इसके बाद इसे मौजूदा अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) का पालन करता है। समिति द्वारा सुझाव गए विभिन्न संशोधनों को भी विधेयक में शामिल किया गया है।

19. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे आग्रह किया कि 1963 का अधिनियम राज्य में कृषि उपज के लिए बाजार की स्थापना के लिए एक बाद का और एक विशेष कानून है। विद्वान वकील ने 1963 अधिनियम की धारा 2(प) के तहत 'कृषि

उपज' की परिभाषा का भी उल्लेख किया और तर्क दिया कि सब्जियां निश्चित रूप से 'कृषि उपज' की परिभाषा में आती है। उन्होंने 1963 अधिनियम की धारा 2(गपप) के तहत 'बाजार' की परिभाषा का भी उल्लेख किया, जिसका अर्थ है 'अधिनियम के तहत घोषित या घोषित किया गया बाजारः साथ ही धारा 2(गपपप) के तहत 'बाजार क्षेत्र की परिभाषा के संबंध में, जिसका अर्थ है 'इस अधिनियम के तहत घोषित या घोषित किया गया कोई भी क्षेत्र बाजार क्षेत्र है।'

20. 1963 अधिनियम की धारा 2(गअपपप) के तहत 'खुदरा बिक्री का भी हवाला दिया गया था, जिसके तहत 'खुदरा बिक्री का अर्थ हैः

2.(गअपपप) 'खुदरा बिक्री का अर्थ है किसी भी कृषि उपज की बिक्री, ऐसी मात्रा से अधिक नहीं, जिसे बाजार समिति उप-कानूनों द्वारा ऐसी कृषि उपज के संबंध में खुदरा बिक्री के रूप में निर्धारित कर सकती है।

21. इस न्यायालय को ध्यान है कि बाजार क्षेत्र में बिक्री और खरीद धारा 6(1) और (2) के तहत नियंत्रित होती है। धारा 6(3) निम्नलिखित शर्तों में एक अपवाद प्रस्तुत करती हैः 6.(3) उपधारा (2) की कोई भी बात ऐसी किसी भी कृषि उपज की खरीद या बिक्री पर लागू नहीं होगी, यदि इसका उत्पादक स्वयं इसका विक्रेता है और क्रेता इसे अपने निजी उपभोग के लिए खरीदता है।

22. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने इन प्रावधनों का आश्रय लेते हुए आग्रह किया कि सब्जी बाजार की स्थापना पूरी तरह से और पूरी तरह से 1963 अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आती है।

23. अधिनियम 1963 के अध्याय प्ग् और धारा 49 के तहत, राज्य सरकार बाजार क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत है, यदि इस

अधिनियम, यानी 1963 अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो। ऐसा अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 या उस समय लागू किसी अन्य संबधित कानून के प्रावधानों के तहत किया जा सकता है। धारा 49 (1) और (2) नीचे दी गई हैः

49. (1) राज्य सरकार बाजार क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, जो उसकी राय में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 या किसी अन्य संबंधित कानून जो बल में है, के प्रावधानों के तहत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

(2) ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 या उस समय लागू किसी अन्य संबंधित कानून और अन्य सभी शुल्कों के तहत दिए गए मुआवजें के बाजार समिति द्वारा भुगतान पर बाजार समिति को हस्तांतरित की जाएगी। अधिग्रहण के कारण राज्य सरकार द्वारा ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे तरीके से खर्च किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित कर सकती है और इस तरह के हस्तांतरण पर भूमि बाजार समिति में निहित हो जाएगी।

24. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने 1963 अधिनियम की धारा 63 पर दृढ़ता से भरोसा किया, जो बाजार की स्थापना, रखरखाव और विनियमन से संबंधित प्रावधानो पर बॉम्बे बाजार और मेला अधिनियम 1862 या किसी अन्य कानून के लागु होने को वर्जित करता है।

63. बॉम्बे बाजार और मेला अधिनियम,1862,या बाजार की स्थापना, रखरखाव या विनियमन से संबंधित किसी भी समय लागू किसी भी कानून में निहित कोई भी बात किसी भी बाजार क्षेत्र पर लागू नहीं होगी, किसी बाजार समिति या इस अधिनियम के तहत दिए गए लाइसेंस धारक के अधिकार ऐसे क्षेत्र में धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किसी भी कृषि उपज की खरीद या बिक्री के लिए किसी भी स्थान को

स्थापित करने स्थापित करने या जारी रखने के लिए है, किसी भी तरह से शक्तियों को प्रभावित नही करेगी।

25. उपरोक्त वैधानिक ढांचे के आधार पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि यदि राज्य सरकार सब्जी बाजार की स्थापना के लिए कोई भुमि अधिग्रहण करना चाहती है तो राज्य सरकार को बाद में विशेष अधिनियम, जो कि 1963 का अधिनियम है, के तहत कदम उठाना होगा। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार विशिष्ट बाद के विधायी अधिनियम, यानी 1963 अधिनियम और उसकी धारा 63 के मद्देनजर, बीपीएमसी अधिनियम की धारा 78 के तहत एसएमसी के संकल्प के आधार पर सब्जी बाजार स्थापित करने के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू नही कर सकती है।

26. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और हमें उच्च न्यायालय के फैसले से अवगत कराया और प्रस्तुत किया कि 1963 का अधिनियम कृषकों और व्यापारियों के लिए है और आम आदमी के लिए नही है। विद्वान वकील ने गुजरात टाउन प्लानिंग और शहरी विकास अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया और यह भी आग्रह किया कि बीपीएमसी अधिनियम की धारा 63 (12) और 78 के मद्देनजर, एसएमसी की विवादित कार्रवाई, जिसकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, कानून में मान्य है ओर यह न्यायालय विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर सकता है।

27. पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, इस अदालत की राय है कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क उच्च न्यायालय द्वारा गंभीरता से विचार करने योग्य है।

28. हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित फैसले में, बड़े सम्मान के

साथ, विभिन्न मुद्दों पर कार्यवाही की लेकिन ऊपर चर्चा किए गए प्रश्नों को बिल्कुल भी नही छुआ है। वास्तव में आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 18 में उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर देने से, अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर इनकार कर दिया कि अपीलकर्ता न तो कृषि विशेषज्ञ है, न ही अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उपज के खरीदार, न ही ऐसी वस्तुओं के डीलर और न ही सूरत कृषि उपज बाजार समिति के पदाधिकारी, न ही सूरत कृषि उपज बाजार समिति की ओर से शिकायत करने का कोई अधिकार है।

29. हमारा मानना है कि पैराग्राफ 18 में उल्लिखित आधारों पर उपरोक्त प्रश्न को निपटाने से इनकार करने में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से गलती की थी।

30. इस अदालत की यह भी राय है कि चंूकि उपरोक्त अधिग्रहण कार्यवाही के परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं की संपत्ति छीन ली गई है, इसलिए अपीलकर्ता अधिग्रहण कार्यवाही शूरू करने के लिए बीपीएमसी अधिनियम की गैर-प्रयोज्यता का सवाल 1963 अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हूए सब्जी बाजार की स्थापना करना, जो एक विशेष ओर बाद का अधिनियम है, उठाने के हकदार है।

31. संपत्ति का अधिकार, अब मौलिक अधिकार नही रहा है, लेकिन इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत इस हद तक संरक्षण प्राप्त है कि कानून के अधिकार के अलावा संपत्ति से कोई वंचित नहीं हो सकता है। कानून के प्राधिकार का स्पष्ट अर्थ कानून का वैध प्राधिकार होगा। अधिग्रहण द्वारा संपत्ति से वंचित करने के मामलें में, अंततः भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 द्वारा जो कि एक कठोर और स्वामित्वहीन कानून है, संपत्ति के मालिक, यहां अपीलकर्ता एक अधिग्रहण की कार्यवाही की वैधता पर सभी कानूनी रूप से स्वीकार्य आपत्तियां उठाने के लिए स्वीकार्य रूप से हकदार है।

32. यहां चूंकि उच्च न्यायालय एक गलत दृष्टिकोण पर आगे बढा है, इसलिए उसके फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय ने

अपीलकर्ताओं द्वारा , उठाई गई मुख्य चुनौती की वैधता की जांच करने से उनके अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण, बड़े सम्मान के साथ, मुद्दे की जड़ तक जाता है और उसके फैसले को बहुत कमजोर बनाता है।

33. उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को बरकरार नहीं रख सकता है जिसे तदनुसार रद्द कर दिया गया है। उपर चर्चा किए गए ओर विशेष रूप से नीचे दिए गए प्रश्नों पर नए सिरे से रिट याचिका के निर्णय के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

34. उच्च न्यायालय सभी मुद्दों को निपटा सकता है लेकिन विशेष रूप से निम्नलिखित दो प्रश्नों को निपटा सकता हैः

(i) क्या 1963 अधिनियम,1949 अधिनियम की तुलना में एक बाद का और एक विशेष अधिनियम, 1949 अधिनियम पर प्रभावी होगा या क्या 1963 अधिनियम और 1949 अधिनियम के बीच इस आधार पर सामंजस्यपूर्ण व्याख्या संभव है कि वे दो अलग अलग स्थितियों को नियंत्रित करते है तथा बाजारों के अलग अलग क्षेत्र को शासित करते प्रतीत होते है।

(ii) विवादित अधिग्रहण बीपीएमसी अधिनियम की धारा 78 के तहत आगे बढ़ता है। धारा 78 विशिष्ट रूप से ''निगम में निहित संपत्ति शब्द का उपयोग करती है। इस शब्द को पढने से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि एसएमसी केवल उसमें निहित संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, निजी संपत्ति का नहीं। इस प्रकार, उच्च न्यायालय बीपीएमसी अधिनियम की धारा 78 में उक्त अभिव्यक्ति का दायरा और सीमा तय कर सकता है और विवादित अधिग्रहण की वैधता का मुद्दा निर्धारित कर सकता है।

35. चुंकि काफी समय बीत चुका है, इसलिए उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह उपरोक्त टिप्पणियों के आलोंक में रिट याचिका पर यथाशीघ्र सुनवाई करने के लिए कदम उठाए, लेकिन निश्चित रूप से यह आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर। हालांकि उच्च न्यायालय दो मुद्दो पर अपने निष्कर्षो को छोड़कर, इस निर्णय में की गई किसी भी टिप्पणी से किसी भी तरह से बाधित हुए बिना प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वे हैं (i) 1963 का अधिनियम कृषि उपज और कृषि बाजार से संबंधित एक बाद का और विशेष कानून है, और (ii) अपीलकर्ताओं को अनुच्छेद 300 ए के प्रावधानों और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के कठोर प्रावधान के मद्देनजर अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने का अधिकार क्षेत्र है।

36. हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कानूनी रूप से स्वीकार्य विवादों को उठाना पार्टियों के लिए खुला है। ऊपर बताई गई सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

37. खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पलविंदर सिंह आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोंग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रजी संस्करण ही प्रामाणित और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।